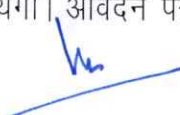


कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

ई-नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत मिश्रित भू-उपयोग एवं कार्यालय की भूमि का क्षेत्रफल-724.13 वर्ग मीटर को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक- ४५/03/2025 से दिनांक-31/03/2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया है, जिसकी ई-नीलामी दिनांक-04/04/2025 को सम्पन्न होगी। ई-नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्तें व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट पर ई-नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।


(यू०पी० सिंह)
पी०सी०एस०
सचिव


(आनन्द वर्द्धन)
आई०ए०एस०
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत मिश्रित भू-उपयोग एवं कार्यालय की भूमि को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक-05/03/2025

पंजीकरण समाप्ति दिनांक-27/03/2025

विशेष आकर्षण:- रेलवे स्टेशन के समीप, चौड़ी सड़क पर, सिचाई डाक बंगला के सामने पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के समीप।
उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण:-

क्र0सं0	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क	उच्चतम बोली की अवशेष धनराशि व अन्य शुल्क आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय होगा।
01	724.13	रु0-14,55,51,436.00	रु0-1,45,55,144.00	

नोट:-पंजीकरण हेतु क्या करें:-

- 1- पंजीकरण विवरण पुरितका रु0-1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gudagup.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2- निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- 3- ई-नीलामी हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।
- 4- भूखण्ड का आवंटन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा।
- 5- आवंटित क्षेत्रफल के अतिरिक्त शेष क्षेत्रफल-103.45 वर्ग मीटर को सिचाई विभाग से खाली होने पर समानुपातिक भू-मूल्य नियमानुसार आवंटी को देना होगा।
- 6- भूमि के कॉर्नर होने की दशा में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- 7- भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत प्रीहोल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- 8- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:-

फोन नं0 0551-2230132,

टोल फ्री नं0-18001202246

सचिव

उपाध्यक्ष